फेस मास्क से जुड़े बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

17 मई 2021 को गवर्नर प्रिट्ज़कर (Pritzker) ने कार्यकारी आदेश 2021-10 जारी किया जो नवीनतम CDC मार्गदर्शन के साथ संरेखित है और यह पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके लोगों के लिए फेस मास्क लगाने की आवश्यकता वाले आपातकालीन नियमों को रद्द करता है।

गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए यदि आपको पूरी तरह से टीका लगाया गया है, तो CDC के मार्गदर्शन देखें।

फेस मास्क संबंधी आवश्यकताएं

फ़ेस मास्क पहनने का क्या अर्थ है?

फ़ेस मास्क को अच्छे से बंधा होना चापिए और आपकी नाक व मुंह को ढांके रखना चाहिए। फेस मास्क को बिना किसी रुकावट के सांस लेने देना चाहिए। किसी अस्पताल ग्रेड के मास्क या किसी विशेष प्रकार या ब्रांड के फ़ेस कवर को पहनने की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप घर में बना फ़ेस मास्क पहन सकते हैं, बशर्ते वह आपके चेहरे पर चुस्त हो (ढीला न हो) और आपकी नाक व मुंह को ढकता हो। For more specific information on how to make or care for your face covering, please visit the Illinois Department of Public Health's (IDPH) website: http://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/mask-use.

क्या मुझे सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना होगा?

CDC मार्गदर्शन के अनुसार, पूरी तरह वैक्सीन लगा चुके लोग, अधिकांश अंदरूनी और बाहरी स्थानों पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना बंद कर सकते हैं। जिन लोगों का पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना जारी रखना चाहिए।

अगर मेरा पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है तो क्या मुझे अब भी मास्क पहनने की आवश्यकता है?

जिन व्यक्तियों को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है और जो छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में असमर्थ हैं, उन्हें अभी भी अपनी नाक और मुंह को फेस मास्क से ढंकना आवश्यक है। यह आवश्यकता इनडोर स्थानों पर लागू होती है, जैसे कि स्टोर, साथ ही सार्वजनिक बाहरी स्थान जहां छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता है।

क्या ऐसी भी परिस्थितियां हैं जब मुझे टीका लगवाने के बाद भी मास्क की आवश्यकता होती है?

CDC अब भी स्वास्थ्य देखभाल परिवेश में, सामूहिक परिवेश में और सार्वजनिक परिवहन पर सभी के लिए मास्क की आवश्यकता जारी रखे हुए है। इसके अलावा, CDC मार्गदर्शन के अनुरूप, इलिनॉय स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन (Illinois State Board of Education (ISBE)) और IDPH को स्कूलों में मास्क की आवश्यकता है। इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली सर्विसेज (DCFS) डेकेयर में मास्क को आवश्यक ठहराता है। CDC अनुशंसा करता है कि प्रतिरक्षात्मक स्थिति वाले व्यक्ति, जिनमें

प्रतिरक्षादमनकारी दवाएं (immunosuppressive) लेने वाले भी शामिल हैं, टीकाकरण के बाद अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर चर्चा करें।

क्या मुझे अब भी बसों या ट्रेन में मास्क पहनने की आवश्यकता है?

हां। सार्वजनिक परिवहन, जैसे बस, ट्रेन या विमान में अभी भी मास्क पहनना जरूरी है।

क्या मुझे साबित करना होगा कि मुझे वैक्सीन लग चुके हैं?

इलिनॉय राज्य को वर्तमान में किसी भी गतिविधि के लिए टीकाकरण के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और सीडीसी और राज्य मार्गदर्शन के तहत सुझाए गए मास्क के लिए व्यक्तियों पर निर्भर है। निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, टीकाकरण का प्रमाण मांगने वाले सिस्टम तैयार कर सकते हैं।

यदि मेरे पास फ़ेस मास्क न हो तो क्या दुकानें या व्यवसाय मुझे वापस लौटा सकते हैं?

हां। एक स्टोर या व्यवसाय आम तौर पर आपको इमारत में प्रवेश करने से रोक सकता है यदि आपके पास फेस मास्क नहीं है, भले ही आपको टीका लगाया गया हो, ताकि दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। हालांकि, यदि आप किसी ऐसी चिकित्सीय स्थिति या अशक्तता से ग्रस्त हैं जो आपको सुरक्षित ढंग से फ़ेस मास्क पहनने से रोकती है, तो आपको दुकान के कर्मचारी से किसी ऐसे उचित समायोजन के बारे में बात करनी चाहिए जिससे आपको अपने स्वास्थ्य या अन्य खरीददारों के स्वास्थ्य को ख़तरे में डालने बिना अपनी ज़रूरत की सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिल सके।

<u>अपवाद</u>

क्या कोई व्यवसाय मेरी पहचान जांचने के लिए यह आवश्यक कर सकता है कि मैं अपना फ़ेस मास्क हटाऊं?

हां। कुछ परिस्थितियों में व्यवसाय द्वारा पहचान की जांच के प्रयोजन से यह आवश्यक किया जा सकता है कि आप कुछ देर के लिए अपना फ़ेस मास्क हटाएं, जैसे कि तब जब आप एल्कोहल, गांजा या कुछ दवाएं विशेष खरीद रहे हों।

यदि मैं किसी ऐसी चिकित्सीय स्थिति या अशक्तता से ग्रस्त हूं जो मुझे फ़ेस-कवरिंग पहनने से रोकती है तो?

यदि आप किसी ऐसी चिकित्सीय स्थिति या अशक्तता से ग्रस्त हैं जो आपको सुरक्षित ढंग से फ़ेस मास्क पहनने से रोकती है, तो आपके लिए फ़ेस मास्क पहनना आवश्यक नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यदि आप फ़ेस मास्क नहीं पहन सकते हैं, तो आपको खुद को और दूसरों को COVID-19 से संक्रमित होने से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

<u>गैर भेदभाव</u>

यदि कोई कर्मचारी मुझसे इसलिए मेरा फ़ेस मास्क हटाने को कहे क्योंकि उसे मैं "संदिग्ध" दिखता/ती हूं तो क्या होगा?

किसी व्यवसाय द्वारा किसी व्यक्ति की नस्ल/जाति, राष्ट्रीय मूल, धर्म, या अशक्तता के आधार पर कदम उठाना या उस पर संदेह करना इलिनॉय मानवाधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। जिस भी व्यक्ति का यह मानना है कि किसी सार्वजनिक समायोजन के स्थान, जैसे किसी व्यवसाय, ने उसकी किसी उपर्युक्त विशेषता के कारण उस पर संदेह किया है, तो वह www.illinois.gov/dhr पर आकर या (312) 814-4320 अथवा (866) 740-3953 (TTY) पर कॉल करके IDHR से संपर्क कर सकता है और भेदभाव का आरोप दायर कर सकता है।

क्या कोई व्यवसाय नस्ल/जाति, राष्ट्रीय मूल, धर्म, या आयु के आधार पर अलग-अलग फ़ेस मास्क आवश्यकताएं लागू कर सकता है?

नहीं। व्यवसाय को व्यक्ति के विशिष्ट संरक्षित आधारों, जैसे उसकी नस्ल/जाति, राष्ट्रीय मूल, धर्म, या आयु की परवाह न करते हुए सभी लोगों से एकसमान व्यवहार करना होगा। जिस भी व्यक्ति का यह मानना है कि उससे एक या अधिक संरक्षित आधारों के कारण अलग व्यवहार किया गया है,
वह www.illinois.gov/dhr पर आकर या (312) 814-4320 अथवा (866) 740-3953 (TTY) पर कॉल करके IDHR से संपर्क कर सकता है और भेदभाव का आरोप दायर कर सकता है।